# मीरजापुर पुलिस

**—प्रेस नोट—**

दिनांकः02.07.2025

## थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद शिवलिंग व 01 अदद त्रिशूल बरामद—

थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 30.06.2025 को वादी अरविन्द राणा पुत्र गनपति सिंह निवासी ग्राम रैकरी थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरूद्ध ग्राम रैकरी स्थित रिख बाबा प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग व त्रिशूल चोरी के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । जिसके आधार पर थाना सन्तनगर पर मु0अ0सं0- 112/2025 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा चोरी के सामानों की बरामदगी कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष राजगढ़ को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना राजगढ़ पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में दिनांकः01.07.2025 को उपनिरीक्षक सुरेश सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के सुचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोड़थरा तिराहा के पास से प्रकाश में आये एक अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र रमेश गौड़ निवासी गोडथरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी 01 अदद शिवलिंग व 01 अदद त्रिशूल बरामद बरामद किया गया । थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—**

चन्दन कुमार पुत्र रमेश गौड़ निवासी गोडथरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-26 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोग —**

मु0अ0सं0- 112/2025 धारा 303(2), 324(4),317(2) बीएनएस थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर ।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —**

गोड़थरा तिराहा के पास से, दिनांकः01.07.2025 को समय 20.30 बजे ।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —**

उप-निरीक्षक सुरेश सिंह यादव व रमेश प्रसाद पाण्डेय थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर ।

मुख्य आरक्षी मनोज यादव, मनीष सिंह, रणजीत सिंह थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर ।

सत्यमेव जयते